न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:–01 / 2023 तारीख रजू:–16.01.2023

जी.सी.एम.एस. नं0:– 2023 / 10

पीठासीन अधिकारी :–जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. कजोड़ पुत्र नारायण गुर्जर निवासी जाजेड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–प्रार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा।
2. दयाराम पुत्र नानगा
3. कन्या पुत्री चौथमल
4. रूकमणी पुत्री चौथमल
5. सीता पुत्री चौथमल
6. धनराज पुत्र चौथमल

जातियान गुर्जर निवासीयान जाजेड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–अप्रार्थीगण

उपस्थित–

वकील प्रार्थी:– श्री दिनेश पारीक एडवोकेट

वकील अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6:– श्री हरिराम प्रजापत एडवोकेट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांक:–25.03.2026

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि–

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.30 12:36:12 IST
Reason: SelfAttested

- प्रार्थी व अप्रार्थीगण ग्राम जाजेडा तह[illegible] का बरवाडा का रहने वाले है।
- प्रार्थी की कब्जे काश्त [illegible] 6 की भूमि जाजेडा पटवार हल्का कुम्हारिया ने खातेदारी भूमि पास प[illegible] है जिसमे प्रार्थी की [illegible]ता संख्या 12 मे दर्ज ख. नं. 1483 व अप्रार्थी न० 02 खता संख्या 65 मे दर्ज खसरा न० 1484 अप्रार्थीगण उलगायत 6 भूमि खाता संख्या 90 ख.न. 1481 व 1482 प्रार्थी व

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

अप्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त पैदा रखते आ रहे उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है।

- ❖ प्रार्थी ने अप्रार्थी नम्बर 01 को खसरा नम्बर 1483 रकबा 0.03 हैक्टर का सीमा ज्ञान हेतु आवेदन किया था, जो स्वीकार कर दिनांक 15.07.2022 को गिरदावर हल्का पावडेरा व हल्का पटवारी हल्का कुम्हारिया सीमाज्ञान किया गया था। मौके पर्चा रिर्पोट तैयार की गयी थी अत मुताबिक नक्शे के अनुसार पत्थर गढी करवाया जाना नितान्त आवश्यक है।
- ❖ अप्रार्थीनम्बर 01 लैण्ड होल्डर है वह माननीय न्यायालय के आदेश की पालना करेगा व अप्रार्थीगण 2 लगायत 6 उक्त खसरे के पडौसी खातेदार है इसलिये इनको पक्षकार बनाया गया है।
- ❖ अप्रार्थीनमबर 01 को आदेश प्रदान करे कि मौके पर उपस्थित रहकर ग्राम जाजेडा के खसरा नम्बर 1483 मुताबिक नक्शे ट्रेश पत्थरगढी करवाये।अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम डिडायच पटवार हल्का डिडायच की जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 खाता सं. 12 मे दर्ज खसरा नं. 1483 रकबा 0.03 हैक्टर की मुताबिक नक्शे ट्रैस पत्थर गढी के आदेश फरमाने की कृपा करे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थीगण जारी किये जाकर उनको न्यायालय में तलब किया गया।

3. वकील अप्रार्थीगण ने अपना जवाब पेश किया है कि–

   - ➢ विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की कृषि भूमि न होकर गै0मु0 बाड़ा है।
   - ➢ प्रार्थी को सेटलमेंट विभाग की गलतियों को दुरूस्त करने हेतु भूमि का वाद दायर करना चाहिये था।
   - ➢ प्रार्थी व अप्रार्थीगण के 0.03 है0 के मवेशियों के बाड़े हैं। प्रार्थी का बाड़ा बहमी बंटवारे में अप्रार्थीगण के हिस्से में है, परन्तु प्रार्थी की नियत खराब है। इसलिये उसको हमारे नाम करवाने से मुकर कर हमारे नाम नहीं करवाना चाहता है। प्रार्थी का विवादित आराजीयात पर कब्जा नहीं है तो पत्थरगढ़ी का आदेश क्यों करवाना चाहता है ? अतः प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के निरस्त फरमाया जावे।

4. वकील अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 बार–बार [illegible] लगवाई जाने के बावजूद बहस हेतु उपस्थित नहीं होने के कारण उनकी बहस बंद की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.30 12:36:12 IST
Reason: SelfAttested

5. बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी ने [illegible] बहस प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों का दोहरान किया।

Jogendra
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

6. मैंने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

7. वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि अप्रार्थी नम्बर 2 लगायत 5 की भूमि जाजेडा पटवार हल्का कुम्हारिया ने खातेदारी भूमि पास पास है जिसमे प्रार्थी की भूमि खाता संख्या 12 मे दर्ज ख. नं. 1483 व अप्रार्थी न० 02 खता संख्या 65 मे दर्ज खसरा न० 1484 अप्रार्थीगण उलगायत 6 भूमि खाता संख्या 90 ख.न. 1481 व 1482 प्रार्थी व अप्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त पैदा रखते आ रहे उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थी ने अप्रार्थी नम्बर 01 को खसरा नम्बर 1483 रकबा 0.03 हैक्टर का सीमा ज्ञान हेतु आवेदन किया था, जो स्वीकार कर दिनांक 15.07.2022 को गिरदावर हल्का पावडेरा व हल्का पटवारी हल्का कुम्हारिया सीमाज्ञान किया गया था। मौके पर्चा रिर्पोट तैयार की गयी थी अत मुताबिक नक्शे के अनुसार पत्थरगढी करवाया जाना नितान्त आवश्यक है। जमाबंदी संवत् 2073–2076 वाके ग्राम जाजेड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा के खसरा नंबर 1483 रकबा 0.03 है0 का प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार है। जिस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकार रखता है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेश प्रदान किये जाते हैं कि वे खसरा नंबर 1483 रकबा 0.03 है0 वाके ग्राम जाजेड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा की पुलिस जाप्ते के साथ पत्थरगढ़ी करवाये। पत्थरगढ़ी करवाये जाने का नियमानुसार समस्त खर्चा प्रार्थी द्वारा वहन किया जावेगा। निर्णय आज दिनांक 25.03.2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमीद दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.30 12:36:12 IST
Reason: SelfAttested